(ख) और (ग) वाष्पीकरण और निष्क्रिय (उत्सर्जन) जैसी हानियों तथा नदी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए नदी में कुछ जल को बहने देने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है। फिर भी, वर्षा जल की सीमित मात्रा का संचय करने के लिए नदी प्रणालियों पर बड़े, और छोटे बांधों तथा जलाशयों, भंडारणों का निर्माण किया जा सकता है। देश में 1142 बिलियन घन मीटर कुल उपयोज्य जल में से 536 बिलियन घन मीटर उपयोज्य जल को अप्रयुक्त छोड़ते हुए जल (सतही और भू) का वर्तमान (1994) उपयोग लगभग 606 बिलियन घन मीटर अर्थात् 53 प्रतिशत है।

(घ) विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल का वर्तमान (1994) उपयोग निम्न प्रकार है:—

प्रयोजन	उपयोग (बिलियन क्यूबिक मीटर में)
सिंचाई	501.00
पेयजल	30.40
ऊर्जा	20.20
उद्योग	20.00
अन्य	34.00
कुल	605.60

अर्थात् -606.

(ङ) पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए वर्षा जल का उपयोग करने हेतु नदियों पर भंडारण बनाने पर जोर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप देश की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता इस समय लगभग 193.2 बिलियन घन मीटर है। 77 बिलियन मीटर अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए बांध निर्माण के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त लगभग 130 बिलियन घन मीटर भंडारण, वृहद और मध्यम योजनाओं के जरिए बढ़ाए जाने की संभावना है, जो विचाराधीन है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधनों के विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना पर अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ नदियों को आपस में जोड़कर अधिशेष जल को कमी वाले बेसिनों में अन्तरित करने तथा संभावित स्थलों पर जलाशयों के निर्माण की परिकल्पना है। अनुमान है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत अन्तरबेसिन अन्तरणों के जरिए उपयोग के लिए 220 बिलियन घन मीटर जल उपलब्ध होगा।

Modernisation of Textile Industry

424. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any new National Scheme for the modernisation of textile industry in the country.

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Declaration of River Waters as National Asset

425. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to declare river waters as a National asset so as to regulate their utilisation by the Central Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the principles evolved for division of the river waters among upper riparian and lower riparian States?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Generally principle of "equitable appointment" is followed. Draft national policy guidelines for water allocation amongst States were circulated in the third meeting of National Water Resources Council held on 6-2-1996.

भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी नागरिकों को सुविधाएं दिया जाना

426. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस.आर. सुरजेवाला:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए और अन्य सुविधाएं प्राप्त